L. C. BILL No. VII OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ७ सन् २०२६।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५८ का ६०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(शा.म.मु.) एच ३४३५–१ (१००—३-२०२६)

HB 3435 (Hindi).indd 1 Mar 18, 2026 4:12:42 AM

सन् १९५८ का ६० की धारा ५३क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा ५३क, की उप-धारा (१) को, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— सन् १९५८ का ६०।

" परंतु जहाँ कार्यवाही शुरू करने की सूचना छह वर्ष की उपरोल्लिखित अवधि के भीतर जारी की गई है, तब ऐसी कार्यवाही उक्त अवधि के अवसित होने के कारणों द्वारा समाप्त नहीं होगी और ऐसी कार्यवाहीयाँ में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया है तब तक जारी रहेगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, (सन् १९५८ का ६०) की धारा ५३क के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण जिलाधिकारी के प्रमाणपत्र के दिनांक से छह वर्ष की अवधि के भीतर घाटे वाले स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है और यदि कोई हो, तो ऐसे घाटे वाले शुल्क की वसूली का आदेश दे सकता है।

२. लेखा परीक्षक महानिरीक्षक और पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प नियंत्रक के कार्यलयों द्वारा किए गए निरीक्षण में ऐसे लिखत पाए जाते हैं जिन पर सम्यक रूप से स्टाम्प नहीं लगा है । स्टाम्प कलेक्टर ऐसे लिखतों की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिक़रण को भी करता है जिन पर या तो गलती से या किसी और कारण से सम्यूक रूप से स्टाम्प नहीं लगा है । निरीक्षण या रिपोर्ट जिलाधिकारी के प्रमाणपत्र के दिनांक से अलग-अलग अवधि के भीतर की जा सकती है या प्राप्त की जा सकतीहै। ऐसे निरीक्षणों या रिपोर्टों के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए उक्त धारा ५३क के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाही छह वर्ष की अनुबद्ध अवधि के दौरान अलग-अलग समय पर शुरू की जाती है ।

३. सोनी मोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (सन् २०१२ की रिट याचिका क्रमांक २७५७) के मामले में बॉम्ब उच्च न्यायालय ने दिनांक ७ अगस्त २०२५ का न्यायनिर्णय देखिए, यह निर्णय दिया है कि धारा ५३क (१) में उपबंधित की गई छह वर्ष की अवधि का अर्थ यह होना चाहिए कि, वसूली का आदेश उक्त समय सीमा के भीतर पारित किया जाना चाहिए।

हालांकि, ऐसी अर्ध-न्यायिक पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने वाली सूचना छह वर्ष की अनुबद्ध अवधि के भीतर जारी की जाती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे मामलो में स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन और सूचना जारी करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित लिखतों का निर्माण, पक्षों आदि की व्यक्तिगत सुनवाई से संबंधित जटिल मुद्दों के कारण उक्त अवधि से आगे तक लंबित रहते हैं । ऐसी पुनरीक्षण कार्यवाहियों में सरकार का बड़ी मात्रा में राजस्व की रक्कम शामिल होती है। यदि ऐसे मामलों को उनके शुरू होने के पश्चात् अनुबद्ध अवधि के भीतर निपटाया नहीं जा सका, तो इससे राज्य के राजस्व का काफी नुकसान होगा ।

४. इसलिए, राज्य के राजस्व के हित में, सरकार यह आवश्यक समझती है कि, धारा ५३क में संधोधन किया जाए ताकि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा ५३क(१) के अधीन कार्यवाही शुरू करने की सूचना छह साल की अवधि के भीतर जारी की गयी है, तो ऐसी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी और अंतिम आदेश पारित होने तक जारी रहेगी ।

५. विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित १७ मार्च, २०२६।

राजस्व मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १७ मार्च, २०२६।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव (३),
महाराष्ट्र विधानपरिषद.

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई